

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

तहसील-बरसी, जिला-चित्तौड़गढ़  
ग्राम मंचायत, प्रांवलटेडा, दिनांक 17/10/2025

संगठन

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय - सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री सुशीला पिता/पति श्री रामकुमार

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बरसी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री सुशीला पिता/पति  
रामकुमार निवासी खल्दरखा का/की हुं/हैं।

मेरे हमारे पटवार हल्का प्रांवलटेडा के राजस्व ग्राम खल्दरखा में खाता संख्या 475  
किता 3 रकबा 1.09 है भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम रामकुमार दर्ज है  
जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में सुशीला दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम रामकुमार के बजाय सुशीला दर्ज करवाने की कृपा  
करावे।

दिनांक 17/10/2025

हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य



जाता कसुमारी

रिपोर्ट पटवारी हल्का प्रांवलटेडा

महोदयजी

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री सुशीला पिता/पति रामकुमार निवासी  
खल्दरखा राजस्व ग्राम खल्दरखा पटवार हल्का प्रांवलटेडा की जमाबन्दी  
प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में सुशीला दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनों  
जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः  
संशोधन किया जाना उचित है।

Bis

हस्ताक्षर पटवारी

हस्ताक्षर भूअ.नि. Semulpur

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक-भू.अ./2025/09

दिनांक-17/10/2025

संज्ञित

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महादय,

चित्तौडगढ

महादय,


ग्रामीण सेवा शिविर-2025

तहसील-बस्सी, जिला-चित्तौडगढ

ग्राम पंचायत, ~~...~~ दिनांक-17/10/2025

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री सुरीला पिता/पत्नि मा.पु. निवासी ... पटवार हल्का ... के राजस्व ग्राम ... में जग बन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या ... में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. न सम्मानजनक जाति/नाम ... किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम ... का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। ...

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

  
तहसीलदार (भू.अ.)  
बस्सी  
जिला चित्तौडगढ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक-रीडर/2025/898

दिनांक-31/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का ...

विषय - सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बायत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री सुरीला पिता/पत्नि मा.पु. राजस्व ग्राम ... पटवार हल्का ... की खाता संख्या ... में जाति/नाम ... दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री सुरीला पिता/पत्नि मा.पु. की जाति/नाम ... पटवार एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का ... राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ